न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फेसला
127 / 2022	02.09.2022	27.01.2023

पीठासीन अधिकारी—हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— नरेश कुमार उर्फ निलेश प्रजापति पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा मे खाता संख्या 78 में खसरा नं0 171 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2 हेक्टर , खसरा नम्बर 307 रकबा 0.02 हेक्टर **किता 3 रकबा 1.75 हेक्टर भूमि स्थित** है।

एवं ग्राम चींसा के खाता संख्या 116 में खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.67 हेक्टर, 1 **किता रकबा 0.67 हेक्टर भूमि स्थित है।**

उक्त भूमि को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त आराजियात वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है, जिसका वादी खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादी का वास्तविक नाम निलेश प्रजापति है। जो वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, व परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में निलेश प्रजापति के नाम दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नरेश कुमार नाम दर्ज है।

यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बचपन का बोलता नाम इन्तकाल खोलते दर्ज हो गया। जिससे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नरेश कुमार दर्ज चला आ रहा है वादी का अन्य दस्तावेजों में निलेश प्रजापति होने से वादी को कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। इसलिए वादी का नाम नरेश कुमार उर्फ निलेश प्रजापति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:—

1— कि ग्राम ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 78 में खसरा नं0 171 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2हेक्टर , खसरा नम्बर 307 रकबा 0.02 हेक्टर किता 3 रकबा 1.75 हेक्टर भूमि स्थित है।

असल से मिलान किया

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.) फोटो प्रति प्रमाणित

अतिरिक्त प्रतिलिपिक अधिकारी

एवं ग्राम चींसा के खाता संख्या 116 में खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.67 हेक्टर, 1 किता रकबा 0.67 हेक्टर भूमि स्थित है।

2— कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम चींसा की सम्वत 2074—2077 खाता सं0 78

2— नकल जमाबन्दी ग्राम चींसा की सम्वत 2074 से 2077 खाता सं0 116

3— आधार कार्ड की छाया प्रति

4— पेन कार्ड की छायाप्रति

5— मतदाता फोटो पहचान पत्र

6— शपथ पत्र सहखातेदार कलावती बाई

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में नरेश कुमार व निलेश एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया गया है एवं वादी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 78 में खसरा नं0 171 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2हेक्टर , खसरा नम्बर 307 रकबा 0.02 हेक्टर किता 3 रकबा 1.75 हेक्टर भूमि एवं ग्राम चींसा के खाता संख्या 116 में खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.67 हेक्टर, 1 किता रकबा 0.67 हेक्टर भूमि में वादी का नाम नरेश कुमार के स्थान पर निलेश प्रजापति पुत्र मांगीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद
दीगोद जिला कोटा (राज.)

असल से मिलान किया

फोटो प्रति प्रमाणित